न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	09.05.2022	08.06.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....आवेदक

बनाम

दूध विक्रेता श्री रामजीलाल बैरवा पुत्र स्व. श्री केसर लाल बैरवा निवासी ग्राम पोस्ट हरचन्देडा तह. व जिला टोंक ..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 08.06.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2022 को समय प्रातः 08:10 ए.एम. पर बमोर पुलिया के नीचे अन्नपूर्णा डूंगरी रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री रामजीलाल बैरवा पुत्र श्री केसर लाल बैरवा दूध विक्रेता मोटर साईकिल पर लोहे के ड्रमों में 20–20 लीटर क्षमता वाले में लगभग 40 लीटर मिश्रित दूध वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु आये हुये थे, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया जिस पर विक्रेता ने अपने आप को दूध विक्रेता बताया एवं पूछने पर बताया कि लोहे के ड्रमों में रखा हुआ दूध भैंस / गाय / बकरी का है, अतः दूध को **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** होना बताया। तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर ऑनलाईन आवेदन करना बताया एवं बाद में आवेदक के कार्यालय में प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा श्री रामजीलाल बैरवा की मोटर साईकिल पर लटके हुए लोहे के ड्रमों में रखे **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** का निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर दूध विक्रेता श्री रामजीलाल बैरवा को फार्म नं. 5 ए पर नमूना जाचं हेतु लेने की लिखित सूचना देकर लोहे के ड्रमों में रखे **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** में से 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 2 लीटर **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** के बराबर–बराबर 500–500 मिली. के चार भाग तैयार कर चार साफ एवं सूखी प्लास्टिक की शिशियों में भरकर प्रत्येक बोतल में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर एयर टाइट ढक्कन बन्द किया। चारों नमूना भागों के लिए चार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3110 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री रामजीलाल बैरवा तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–3110 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/819 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1091/एक्ट/2022/1141 दिनांक 29.03.2022 के अनुसार विक्रेता श्री रामजीलाल बैरवा से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध (Mixed Milk)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामजीलाल बैरवा पुत्र स्व. श्री केसर लाल बैरवा पर शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0